Factual and Action Taken Report

In the matter of

Original Application No. 353 of 2022

In the Matter of:

Kartik Sharma

……..……Applicant

Versus

State of Uttarakhand ……..……Respondent

I. BACK GROUND

1. THAT, THE Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 353 of 2022, Kartik Sharma Versus State of Uttarakhand issued inter alia following directions on 18-05-2022:

"xxx……..xxx……
……xxx

2. Accordingly, we direct a joint Committee of CPCB, State PCB, District Magistrate, Dehradun and State Wetland Authority with State PCB being the nodal agency to ascertain facts and take remedial action in 2 coordination with concerned authorities, The factual and action taken report may be filed with the Tribunal within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.inpreferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF.

"xxx……..xxx……
……xxx

In compliance of order proceed by the Hon'ble National greene Tribunal the joint committee report submitted on dated 20 August 2022.

In above matter Hon'ble National green Tribunal, Principal Bench, New Delhi given following direction on 02-09-2022.

"xxx……..xxx……
……xxx

3. Accordingly, we direct a five member joint committee to be headed by Chairman, Uttarakhand Pay Jal Sansthan with nominees of National Wetland Authority, State Wetland Authority, State PCB and District Magistrate, Dehradun to ensure that drawal of water fron the cathment area of the Lake is duly regulated. State PCB

needs to regulate consents only to the extent of availability of water with a commercial establishment from water harvesting of recycled waste water or water supplied by the Jal Sansthan. No Hotel be allowed to draw water from springs flowing into the Lake without strict regulation, considering the extent of availability and priority for availability of water for drinking purposes for the inhabitants. The State PCB will be the Nodal Agency for coordination and compliance. The committee may ascertain the extent of capacity of the Jal Sansthan to supply water for domestic and commercial purposes separately. The committee may also suggest regulatory measures to ensure that no unregulated drawal of water takes place for commercial purposes from the catchment areas of the Lake. A report about compliance status as per above directions as on 31-10-2022 be furnished by 15-11-2022 by e-mail at judicial-ngt@gov.inpreferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF.

**मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित वाद कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड सरकार (OA नं0 353 of 2022) के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 02–09–2022 के अनुपालन में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण/जांच आख्या।**

1. उपरोक्त वाद के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी (अध्यक्ष), राष्ट्रीय वेटलेन्ड अथॉरिटी, स्टेट वेटलेन्ड अथॉरिटी, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पी0सी0बी एवं जिलाधिकारी देहरादून की संयुक्त समिति गठित कर जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये थे, तत्क्रम में उपरोक्त विभागों द्वारा संयुक्त जांच हेतु निम्न सदस्यों को नामित किया गया था।

| क0सं0 | विभाग का नाम | नामित सदस्य | |
|---|---|---|---|
| 1 | उत्तराखण्ड जल संस्थान | श्री लक्ष्मी चन्द रमोला | अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान मसूरी। |
| 2 | नेशनल वेट लैण्ड एथोरिटी | डा0 राजीव सिन्हा | प्रोफेसर, आई0आई0टी0 कानपुर। |
| 3 | स्टेट वेट लैण्ड एथोरिटी | श्री पी0के0 जोशी | संयुक्त निदेशक पर्यावरण निदेशालय, उत्तराखण्ड। |
| 4 | राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड | डा0 आर0के0 चतुर्वेदी | क्षेत्रीय अधिकारी, देहरादून। |
| 5 | जिलाधिकारी देहरादून। | श्री दिनेश चन्द डोभाल | नायब तहसीलदार मसूरी। |

उपरोक्त नामित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित विभागों के नामित/आमन्त्रित प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त जांच में प्रतिभाग किया गया।

1. श्री वेदप्रकाश बधानी – सहायक अभियन्ता, नगर पालिका परिषद मसूरी।
2. श्री विनोद रतूड़ी – सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28–11–2022 को धोबिघाट स्थित श्रोतों, मसूरी झील एवं भट्टा फॉल का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा विभागों द्वारा संकलित की गयी सूचनाओं का आंकलन कर निम्नानुसार आख्या प्रस्तुत है।

1. धोबीघाट श्रोत एक प्राकृतिक स्प्रिंग है जो धोबीघाट बस्ती के Up-stream से आती है। स्प्रिंग में ग्रीष्म ऋतु में लगभग 950 एल0पी0एम0 पानी रहता है तथा माह जुलाई से माह दिसम्बर तक लगभग 1500 एल0पी0एम0 तक पानी उपलब्ध रहता है। जल श्रोत से जल संस्थान मसूरी द्वारा वर्ष 2003–04 में 350 एल0पी0एम0 पानी टेप कर धोबिघाट पम्पिंग पेयजल योजना बनायी गयी है। जिससे मसूरी नगर क्षेत्र में जलापूर्ती की जाती है। अवशेष जल जो कि ग्रीष्म ऋतु में लगभग 600 एल0पी0एम0 तथा अन्य माह में लगभग 1150 एल0पी0एम0 रहता है।
2. यह जल मसूरी धोबीघाट से प्रवाहित होता हुआ मसूरी झील में जाता है जिसके उपरान्त झील में ओवरफ्लो करता हुआ भट्टा फॉल नाले में प्रवाहित होता है।
3. मसूरी झील एक कृत्रिम सीमेन्ट/कॉन्क्रीट निर्मित झील है जिससे किसी प्रकार से Ground Water recharge नहीं होता है। धोबीघाट नाले से झील में गेट पद्वति से 200 एल0पी0एम0 पानी लिया जाता है जो कि ओवरफ्लो होकर नाले में पुनः प्रवाहित हो जाता है। शेष जल झील के बाईपास गेट से भट्टा फॉल नाले में निरन्तर बहता है। यह झील कृत्रिम है, जिसका उपयोग मनोरंजन पार्के के लिये किया जाता है झील में किसी प्रकार की Aquitic macrophyte नहीं पाये गये।
4. धोबीघाट पर 50 से 60 परिवार धोबी निवास करते हैं। जिनका व्यवसाय कपड़ों की धुलाई करना है। उपरोक्त धुलाई से जनित उत्प्रवाह प्राकृतिक पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जिसके लिये धुलाई से जनित उत्प्रवाह को बिना उपचार के धोबीघाट नाले में छोड़ा नहीं जाना चाहिए।
5. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मसूरी नगर में लगभग 322 होटल पंजीकृत हैं। पंजीकृत आंकड़ों के अनुसार जिनकी कुल पानी की मांग लगभग 2.0 एम0एल0डी0 है। उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा व्यवसायिक जल के वितरण के आंकड़ों का आंकलन किया जा रहा है जिनके संकलन के उपरान्त राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को शीघ्र उपलब्ध कराये जाये जिससे उनके निर्गत जल–वायू सहमति में आवश्यक संशोधन किये जा सके।
6. उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा मसूरी में कुल 7.10 एम0एल0डी0 जलापूर्ती की जाती है, जिससे मसूरी के व्यवसायिक उपयोग हेतु को लगभग 3.50 एम0एल0डी0 जलापूर्ती की जा रही है। ग्रीष्म ऋतु में Floating population बढ़ जाने से पानी की मांग बढ़ जाती है।

जिसके कारण से धोबीघाट श्रोत से पेयजल के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन (पेयजल, भवन निर्माण, बागवानी, शौचालय इत्यादि) हेतु टैंकरों के माध्यम से Local Venders द्वारा जलापूर्ती करायी जाती है।

7. वर्तमान में मसूरी नगर क्षेत्र हेतु यमुना नदी से उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा मसूरी पेयजल पुनर्गठन योजना का कार्य गतिमान है, जिस पर सम्बन्धित विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना के पूर्ण हो जाने से वर्ष 2052 तक पानी की मांग पूर्ण हो जायेगी। (संलग्न 1)

**मसूरी नगर क्षेत्र में पानी की मांग।**

| क0सं0 | वर्ष | 2022 Base year | 2037 Mid year | 2052 Design year |
|---|---|---|---|---|
| | पेयजल की कुल मांग एम0एल0डी0 में | 12.62 | 15.58 | 19.17 |
| 1 | उपलब्ध जल की मात्रा | 7.10 | 6.04 | 4.17 |
| 2 | अवशेष जल की मात्रा | 5.52 | 9.54 | 15.00 |
| 3 | जल की क्षति (wastage) | 1.10 | 1.88 | 3.00 |
| 4 | **आवशेष जल की मांग** | **6.62** | **11.42** | **18.00** |

**(उपरोक्त तालिका के आंकड़े–उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अनुसार)**

8. धोबीघाट से एकत्रित किया जा रहा पानी वर्तमान category "D" में आता है। जिसका उपयोग बिना उपचार किये पेयजल के लिये नहीं किया जा सकता।

## समिति का सुझाव

1. धोबीघाट पर टैंकरों को दूषित पानी से भरे जाने हेतु टैंकर संचालकों द्वारा स्वंय की गयी अस्थायी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये इसके अतिरिक्त वर्तमान में अन्य उपयोगों हेतु (पेयजल, भवन निर्माण, बागवानी, शौचालय इत्यादि) जल को Up-stream से स्प्रिंग के वॉटर हैड (जहां पर जल संस्थान द्वारा वर्तमान में पम्पिंग हेतु श्रोत टेप किया गया है) से ग्रीष्म ऋतु में रात्री 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक टैंकरों के माध्यम से अतिरिक्त जल आपूर्ती की व्यवस्था स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन/पेयजल विभाग द्वारा संचालित किया जाये। जिसकी मात्रा श्रोत पर उपलब्ध जल की मात्रा का 70 प्रतिशत से अधिक न हो शेष 30 प्रतिशत जल धाबीघाट नाले में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता रहे। यह व्यवस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा बनाई जा रही मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण तक अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत की जाये।
2. धोबीघाट में रहने वाले सभी परिवारों के सीवर संयोजन सुनिश्चित किये जाये जिससे धोबीघाट नाले में प्रवाहित जल की गुणवत्ता बनी रहे।

3. धोबीघाट नाले (Up-stream/Down-stream) की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कपड़ों के धोने से उत्प्रवाह को उपचार के उपरान्त ही नाले में प्रवाहित किया जाये, जिसके लिये स्थानीय निकाय एवं उत्तराखण्ड पेयजल निगम के द्वारा कार्य योजना बनाई जानी होगी।

10/11/22
सहायक अभियन्ता
जल संस्थान मसूरी।

अधिशासी अधिकारी/प्रतिनिधी
नगर पालिका परिषद मसूरी।

जिलाधिकारी/प्रतिनिधी
मसूरी।

Rajiv Sah
प्रोफेसर
आई0आई0टी0 कानपुर
नेशनल वेटलेन्ड अथॉरिटी

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
देहरादून।

संयुक्त निदेशक
पर्यावरण निदेशालय उत्तराखण्ड

अधिशासी अभियन्ता/प्रतिनिधी
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
मसूरी।

Annexure - 1

6

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी।

## मसूरी नगर हेतु प्रस्तावित मसूरी पुर्नगठन पेयजल योजना का संक्षिप्त विवरण :–

**प्रस्तावना :–**

मसूरी उत्तर भारत स्थित उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत देहरादून जनपद का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी नगर का क्षेत्रफल लगभग 64.25 वर्ग किमी0 है। मसूरी नगर उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून से सड़क मार्ग से 35 कि0मी0 एवं देश की राजधानी दिल्ली से 290 कि0मी0 दूर है। जनपद देहरादून स्थित जौलीग्रांट हवाई अड्डे से मसूरी की दूरी लगभग 55 कि0मी0 है। मसूरी में दर्शनीय स्थल है, जैसे गनहिल, लालटिब्बा, हैप्पी वैली एवं सर जॉर्ज एवरेस्ट इत्यादि है। मसूरी के नजदीक अनेकों पिकनिक स्थल जैसे कैम्पटी फॉल, धनोल्टी, सुरकण्डा देवी मन्दिर, कृत्रिम मसूरी झील, झड़ी पानी एवं भट्टाफॉल आदि स्थित है। मसूरी में "लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रशासनिक सेवा संस्थान" भी है। इसके अतिरिक्त मसूरी में अनेको पुराने एवं विश्व स्तरीय स्कूल जैसे वुड स्टॉक, ओक ग्रोक, विनबर्ग एलन एवं, कॉन्चेटं ऑफ जीसस एण्ड मैरी स्कूल है।

**मसूरी में वर्तमान में पेयजल योजना की स्थिति :–** मसूरी में सर्वप्रथम 1908 में पाईप पेयजल योजना का निर्माण हुआ। पेयजल योजना लगभग 20 स्रौतों को लेकर बनी थी। मसूरी शहर में वर्ष 1907 में विद्युत व्यवस्था लागू हुई तब वर्ष 1908 में मसूरी के लिये पहली पम्पिंग योजना मरे स्रौत से बनी इसके पश्चात मसूरी में वर्ष 1913 में मैकिनन से एवं वर्ष 1925 में लण्ढौर से पम्पिगं पेयजल योजना बनी। वर्ष 1962 में कण्डीघाट से मसूरी स्रौत सवंर्द्धन पम्पिगं पेयजल योजना बनी। वर्ष 1970–71 में कोल्टी एवं वर्ष 2004 में धोबीघाट से मसूरी हेतु पम्पिगं पेयजल योजनाए बनी। वर्तमान में 12 गदेरों एवं स्प्रिंग से लगभग 7.69 एम0एल0डी0 पेयजल मसूरी में उपलब्ध हो रहा है। वर्तमान में मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 28 छोटे बड़े जलाशय जिनकी कुल क्षमता 29000 किलो लीटर है। मसूरी में लगभग 18 कि0मी0 राईजिंग मेन एवं 78.50 कि0मी0 वितरण प्रणाली (250 मि0मी0 ब्यास से 20 मि0मी0 ब्यास) द्वारा पेयजल आपूर्ति हो रही है।

**वर्तमान में उपलब्ध स्रौतों से प्राप्त श्राव का विवरण :–**

| क्र0स0 | पम्पिंग स्टेशन का नाम | पम्पिंग द्वारा उपलब्ध जल की मात्रा (MLD) |
|---|---|---|
| 1 | मर्रे पम्पिंग स्टेशन | 2.88 |
| 2 | भिलाडु पम्पिंग स्टेशन | 0.54 |
| 3 | जिन्सी पम्पिंग स्टेशन | 2.22 |
| 4 | मैकिनन पम्पिंग स्टेशन | 0.182 |
| 5 | कोल्टी पम्पिंग स्टेशन | 0.726 |
| 6 | धोबीघाट पम्पिंग स्टेशन | 0.528 |
| | योग (A) | 7.08 |
| **क्र0स0** | **ग्रेविट श्रौत का नाम** | **ग्रेविटी द्वारा उपलब्ध जल की मात्रा (MLD)** |
| 1 | कम्पनी खड्ड | 0.086 |
| 2 | ब्रुक लैण्ड | 0.129 |
| 3 | नालापानी | 0.036 |
| 4 | परगाखाला | 0.158 |
| 5 | डगलस डेल | 0.129 |
| 6 | सेन्टीपानी | 0.072 |
| | योग (B) | **0.61** |

**कुल उपलब्ध श्राव की मात्रा (A+B) :– 7.69 MLD**

वर्तमान में उपलब्ध जलाषयों की क्षमता :–

| क्र0स0 | जलाशय | क्षमता (कि0ली0 में) |
|---|---|---|
| 1 | विनसेन्ट हिल - I | 227.00 |
| 2 | विनसेन्ट हिल - II | 227.00 |
| 3 | विनसेन्ट हिल - III | 908.00 |
| 4 | विनसेन्ट हिल - IV | 380.00 |
| 5 | माउण्ट रोज | 500.00 |
| 6 | गन हिल –I | 136.00 |
| 7 | गन हिल –II | 926.00 |
| 8 | गन हिल –III | 9080.00 |
| 9 | गन हिल –IV | 2270.00 |
| 10 | गन हिल –V | 4540.00 |
| 11 | लण्ढौर सर्वे (04 Nos. 45 K.L. each ) | 180.00 |
| 12 | लण्ढौर केन्ट नम्बर 08 | 90.00 |
| 13 | डिपो (06 Nos. 45 K.L. each ) | 270.00 |
| 14 | लण्ढौर डिपो | 745.00 |
| 15 | विनवर्ग एलन | 54.00 |
| 16 | राधा भवन 2 नम्बर (4000 K.L. each ) | 8000.00 |
| 17 | ओक नाभा | 400.00 |
| 18 | बार्लोगंज | 50.00 |
| 19 | क्लाउडेण्ड | 45.00 |
| | योग (A) | **29028.00** |

**पेयजल योजना की आवष्यकता** :–मसूरी शहर की जनसंख्या एवं पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिस कारण उपलब्ध जल की मात्रा 7.69 एम0एल0डी0 से स्थानीय लोगों एवं पर्यटको को सम्पूर्ण मात्रा में पेयजल की आपूर्ति नही हो पाती है। वर्तमान में मसूरी शहर में 78 एल0पी0सी0डी0 की दर से आपूर्ति हो रही है। मसूरी नगर में सीवरेज व्यवस्था प्रारम्भ होने के कारण मानकानुसार 135 एल0पी0सी0डी0 की दर से पेयजल उपलब्ध होना चाहिये। इसलिये मसूरी शहर के लिये मसूरी पुर्नगठन पेयजल योजना का प्राक्कलन अनुमानित लागत (सेन्टेज सहित) रू0 18728.73 लाखविरचित किया गया है। जिसमें CPHEEO द्वारा सेन्टेज धनराशि को छोड़ते हुए सेन्टेज रहित धनराशि रू0 16647.75 लाख के विरूद्ध रू0 14446.00 लाख की धनराशि (सेन्टेज रहित) स्वीकृत करते हुएभारत सरकार केशासनादेशसं0 F.NO. 44(1) PF-S/2018-19-1743 Dt 10.03.2019 द्वारा धनराशि रू0 800.00 लाख उत्तराखण्ड शासन को एस0पी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी।पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना का प्रारम्भिक प्राक्कलन रू0 443.80 लाख स्वीकृत करते हुए उत्तराखण्ड शासन द्वारा रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। प्रारम्भिक प्राक्कलन में योजना का विस्तृत प्राक्कलन, भूमि क्रय करने हेतु, भूमि की टेस्टिंग एवं वन विभाग की स्वीकृति एवं एन0पी0बी0 की धनराशि का भुगतान इत्यादि इसी धनराशि में सम्मिलित है।

**जनसंख्या :–**

| क्र0स0 | वर्ष | 2011 | 2022 | 2037 | 2052 |
|---|---|---|---|---|---|
| | स्थायी जनसंख्या | 40,242 | 45,484 | 52,836 | 60,489 |
| 1 | फ्लोटिग जनसंख्या | 39,317 | 48,036 | 62,578 | 81,548 |
| 2 | कुल जनसंख्या | 79,559 | 93,520 | 1,15,414 | 1,42,037 |

पेयजल कीमांग :–

| क्र0स0 | वर्ष | 2022 | 2037 | 2052 |
|---|---|---|---|---|
| | पेयजल की कुल मांग एम0एल0डी0 में। | 12.62 | 15.58 | 19.17 |
| 1 | उपलब्ध जल की मात्रा | 7.10 | 6.04 | 4.17 |
| 2 | अवशेष जल की मात्रा | 5.52 | 9.54 | 15.00 |
| | जल की क्षति (Wastage 20%)) | 1.10 | 1.88 | 3.00 |
| | अवशेष जल की मात्रा क्षति सहित | 6.62 | 11.42 | 18.00 |

प्रस्तावित कार्य :–मसूरी पुर्नगठन पेयजल योजना हेतु विरचित प्राक्कलन मे निम्नलिखित कार्यप्रस्तावित है।

1 :–

| क्र0 स0 | श्रोत कार्य | मात्रा | आवश्यक श्राव की मात्रा (एल0पी0एम0 में) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | वर्ष2022 | वर्ष2037 | वर्ष2052 |
| a. | यमुना नदी पर ड्राई इनटेक वैल से प्राप्त स्राव की मात्रा | 1 नग | 2708 | 6049 | 10597 |
| b. | खीरो गाड़ गदेरे पर बी0एफ0जी0 का निर्माण। | 1 नग | 1900 | 1900 | 1900 |
| | कुल प्राप्त जल की मात्रा (a+b) | 2 नग | 4608 | 7949 | 12497 |
| | Say Discharge in LPM | | 4600 | 7950 | 12500 |

2 :–मेन पम्पिगं स्टेषन (भेड़ियाना गाँव के समीप) :–

a. रॉ वाटर सम्प। (2250 किलो लीटर) :– 1 नग
b. वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट ( 11.20 एम0एल0डी0) :– 1 नग
c. क्लीयर वाटर सम्प। (2450 किलो लीटर) :– 1 नग

3 :–इण्टरमीडियेट पम्पिगं स्टेषन
( कैम्पटी के समीप)

a. क्लीयर वाटर सम्प। (350 किलो लीटर) :– 1 नग

4:–खीरोगाड़ गदेरे से एम0पी0एस0 तक गुरूत्व मेन।

a. 300 मि0मी0 ब्यास MSERW Pipe :– 2200 मी0

5:–राईजिगं मेन।

a. इनटेक वेल से एम0पी0एस0 तक
(400 मि0मी0 ब्यास API Pipe) :– 913 मी0
b. एम0पी0एस0 से टॉप सी0डब्ल्यू0आर तक
(500 मि0मी0 ब्यास API Pipe) :– 16886 मी0

6:–जलाषय

a. 4000 किलो लीटर (राधाभवन) :– 1 नग
b. 300 किलो लीटर (डिपो) :– 1 नग
c. 200 किलो लीटर (लण्ढौर सर्वे) :– 1 नग

d. 100 किलो लीटर (जॉर्ज एवरेस्ट) :– 1 नग

7:–पूर्वनिर्मित जलाषयों हेतु फीडर मेन

a. 50 एम0एम ब्यास से 350 एम0एम0 ब्यास तक :– 13000 मी0

8:–वितरण प्रणाली

a. 50 एम0एम ब्यास से 250 एम0एम0 ब्यास तक :– 78500 मी0

9 :–योजना की अनुमानित लागत :– रू0 18728.73 लाख(सेन्टेज सहित)

10 :–भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराषि का मदवार विवरण :– रू0 14446.00 लाख(सेन्टेज रहित)

| S.No. | Item of Works | Estimated cost in Rs. Lakhs | Sanctioned cost in Rs. Lakhs |
|---|---|---|---|
| A | Civil works | | |
| 1 | Cost of Intake and Treatment works | 1641.82 | 1641.82 |
| 2 | Sump and Storage reservoir | 364.78 | 364.78 |
| 3 | Rising main | 4441.45 | 2309.18 |
| 4 | Pump House & Staff Quarteres | 99.55 | 99.55 |
| 5 | Graivty Main | 189.85 | 153.72 |
| 6 | Supply Main/Feeder Main | 1022.40 | 969.73 |
| 7 | Provision for Approach Road | 67.31 | 67.31 |
| 8 | Hiring of Godwon | 1.80 | 00.00 |
| 9 | Material Testing | 74.10 | 74.10 |
| 10 | Pipe line network (Distribution & Rising main) | 4166.38 | 4166.38 |
| 11 | Service Reservoirs | 291.98 | 291.98 |
| | **Sub Total (A)** | **12361.42** | **10138.55** |
| | Labour cess charges on civil works@1% | 0.00 | 101.38 |
| 12 | Stabilization of System and testing (6 months maintenance) (Civil works) | 32.48 | 32.48 |
| 13 | Special T&P @0.5% | 61.80 | 0.00 |
| | **Sub total (B) Civil works** | **12455.70** | **10272.41** |
| (B) | **E&M works** | | |
| | **Sub total (C) E&M works** | **3707.15** | **3685.12** |
| | **Sub total D (B+C)** | **16162.85** | **13957.53** |
| (C) | Contingencies @3 % on Sub total (A+B) | **484.88** | **418.72** |
| (D) | Administrative Charges (0.5% of Sub Total (A+B) | **0.00** | **69.78** |
| (E ) | Centage @12% | **2080.97** | **0.00** |
| | **Total Rs** | **18728.73** | **14446.04** |
| | **Total Project Cost.** | **187.29 Crore** | **144.46 Crore** |

अधिशासी अभियन्ता